मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 87/20/2021/38-2

भोपाल, दिनांक: 12/01/2021

प्रति,

(1) समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

(2) समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय :- छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश।

--0--

लेख है कि प्रदेश के शासकीय, अनुदान प्राप्त अशासकीय, निजी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पात्रतानुसार उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं तथा प्रोत्साहन योजनाओं में लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है। शासन की मंशानुसार महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पात्रता अनुसार समय-सीमा में इन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाना संबंधित संस्थाओं का दायित्व है।

(2) प्राय: यह देखा गया है कि योजनाओं में पात्र विद्यार्थियों को योजना का समुचित लाभ समय -सीमा में प्राप्त नही हो पाता है जो उचित नहीं है। योजनाओं के उचित व समय -सीमा में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते है:-

(i) उच्च शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा विद्यार्थियों के लिए संचालित की जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ii) योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाए, जिसके संचालन हेतु एक वरिष्ठ प्राध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। हेल्प डेस्क पर नियुक्त नोडल अधिकारी को कार्य सुविधा के लिए एक सहायक , कम्प्यूटर व इन्टरनेट तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए ताकि ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल से संबंधित विद्यार्थियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाना संभव हो सके। यह हेल्प डेस्क छात्रवृत्ति से संबंधित विद्यार्थियों की प्रत्येक समस्या जैसे आवेदन प्रक्रिया, आवेदन करने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। नोडल अधिकारी का मोबाईल नम्बर. महाविद्यालय के सूचना पटल, हेल्प डेस्क व महाविद्यालय की वेब- साइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए ।

(iii) प्रत्येक सप्ताह अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य योजनावार अपने जिले के महाविद्यालयों की छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे साथ ही 15 दिवस में क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक स्तर पर संभाग के समस्त महाविद्यालयों की योजनावार छात्रवृत्ति के क्रियान्वयन की समीक्षा, अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो के माध्यम से की जाए। इसी प्रकार संचालनालय स्तर पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (छात्रवृत्ति शाखा) द्वारा प्रत्येक 15 दिवस में संभागवार समीक्षा की जाए एवं क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

निरंतर..... 2 .....

(iv) संबंधित प्राचार्य / आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पात्र विद्यार्थी के योजनावार देयक कोषालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने के पश्चात प्रत्येक विद्यार्थी के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की राशि समय -सीमा में पहुँच गई अथवा नहीं। यदि कतिपय तकनीकी कारणों के चलते किसी विद्यार्थी को भुगतान नहीं हो पाता है तो इसका त्वरित निराकरण संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा कोषालय से समन्वय कर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(v) जिन छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से पूर्णत: ऑनलाइन निर्धारित की गई है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन इसी निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही कराया जाना प्रत्येक महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कराया जाए।

(vi) उच्च शिक्षा संचालनालय स्तर से जिन छात्रवृत्ति योजनाओं का प्रतिवर्ष विज्ञापन जारी करते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित कर क्रियान्वयन किया जाता है उनका पर्याप्त प्रचार-प्रसार महाविद्यालयों की छात्रवृत्ति हेल्प डेस्क के माध्यम से विद्यार्थियों के मध्य करवाया जाए।

(vii) अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं में लाभान्वित होने वाले महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन महाविद्यालय स्तर से सत्यापन एवं स्वीकृति उपरांत संबंधित विभागों को भुगतान हेतु अग्रेषित किये जाते है। इन योजनाओं में महाविद्यालयों द्वारा स्वीकृत कर भेजे जाने वाले आवेदनों पर भुगतान संबंधी कार्यवाही की समीक्षा भी जिलो में स्थित संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया।

योजनावार निर्देशों का अक्षरत: पालन सुनिश्चित करते हुए महाविद्यालयों के प्राचार्यों का यह दायित्व है कि योजनावार प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को योजना का लाभ समय-सीमा में प्राप्त हो। यदि ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में आता है जिसमें बिना उचित/पर्याप्त कारण के महाविद्यालय स्तर से लापरवाही के कारण कोई पात्र विद्यार्थी समय-सीमा में किसी छात्रवृत्ति योजना के लाभ से वंचित होता है अथवा उसे विलंब से लाभ प्राप्त होता है तो इस स्थिति में संबंधित प्राचार्य के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

12.01.21

(डॉ. आलोक निगम)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक: 12/01/2021

पृ. क्रमांक: 88/20/2021/38-2

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग।
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (छात्रवृत्ति शाखा) उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।

..... की ओर सूचनार्थ।

12.01.21

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग